राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य अभियन्ता,भू जल विभाग, जोधपुर

क्रमांक:-एफ.12( )स्था/भूजल/2019/ 220   जोधपुर. दिनांक:- 1/5/19

-:: परिपत्र ::-

प्राय: यह देखा जाता है कि राजस्थान सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम-10 प्रेस या सोशल मिडिया या रेडियों के तहत स्पष्ट प्रावधान, जिसके तहत कोई राज्यकर्मी बिना पूर्व अनुमति के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी समाचार पत्र या किसी रेडियो प्रसारण या वॉट्सअप या दुरदर्शन कार्यक्रम में भाग नहीं लेगा, या समाचार पत्र, या सावधिक पत्रिका में कोई लेख या पत्र बिना नाम के या अपने स्वयं के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रेषित नहीं करेगा।

1. यह है कि राजस्थान सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम-11 सरकार की आलोचना में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई सरकारी कर्मचारी, किसी आकाशवाणी प्रसारण में, या अपने स्वयं के नाम से या बिना नाम दिए या उपनाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी प्रलेख में, या किसी अन्य संवाद में किसी प्रेस को या किसी सार्वजनिक भाषण में, तथ्य या अभिमत का ऐसा कोई कथन (बयान) नहीं देगा।

   (अ)जिसका केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की किसी वर्तमान या नवीन नीति या कार्यवाही पर प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव पड़ता हो।

2. यह है कि राजस्थान सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम-13 अनाधिकृत रूप से संसूचना देना में स्पष्ट प्रावधान है कि-कोई सरकारी कर्मचारी सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसरण में, के सिवाय या उसे सौंपे गये कर्तव्यों के सद्भावनापूर्ण अनुपालना में, के सिवाय, किसी ऐसे कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शासकीय दस्तावेज या उसका कोई भाग अथवा सूचना नहीं देगा, जिसे वह ऐसा दस्तावेज या सूचना देने के लिए प्राधिकृत नहीं हो।

अत: उपरोक्त निर्देशों के विरूद्ध कृत्य राजस्थान सेवा (आचरण) नियम, 1971 के अन्तर्गत दुराचरण की परिभाषा में आता है। दोषी राजकर्मी पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम-1958 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

उक्त आदेशों की कड़ाई से पालना की जावें।

(सूरजभान सिंह),
मुख्य अभियन्ता,
भू जल विभाग,जोधपुर

क्रमांक:-एफ.12( )स्था/भूजल/2019/220   जोधपुर, दिनांक:- 1/5/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. श्रीमान् निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,भू जल विभाग,शासन सचिवालय, जयपुर
2. श्रीमान वरिष्ठ शासन उप सचिव भू जल विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
3. तकनिकी सहायक प्रथम/द्वितीय, कृते मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर
4. समस्त कार्यालयाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी, भू जल विभाग, ... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों से उपरोक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।
5. नोडल अधिकारी (वैबसाईट) एवं वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक (DSPC), भू जल विभाग, जोधपुर को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड, मुख्यालय।
7. समस्त शाखा प्रभारी, (मुख्यालय)।
8. रक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता
भू जल विभाग,जोधपुर